अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूप आंकड़ों की स्थिति **तालिका 1.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व[1]	50,605.41	57,380.34	59,244.98	60,283.44	74,807.98
	• कर-भिन्न राजस्व[2]	15,733.72	18,603.01	15,714.16	13,653.02	18,754.95
	योग	**66,339.13**	**75,983.35**	**74,959.14**	**73,936.46**	**93,562.93**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग[3]	37,028.01	41,852.35	36,049.14	35,575.77	54,030.61
	• सहायतार्थ अनुदान[4]	23,940.04	20,037.32	29,105.53	24,795.65	36,326.48[5]
	योग	**60,968.05**	**61,889.67**	**65,154.67**	**60,371.42**	**90,357.09**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**1,27,307.18**	**1,37,873.02**	**1,40,113.81**	**1,34,307.88**	**1,83,920.02**
4	**1 का 3 से प्रतिशत**	**52**	**55**	**53**	**55**	**51**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.2 देखें।

2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.3 देखें।

3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखों की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005-केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-वित्त लेखों में दर्ज राज्यों को सौंपी गयी शुद्ध प्राप्तियों का भाग।

4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे के विवरण संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 देखें।

5 इसमें जीएसटी के कार्यान्वयन से हुई राजस्व हानि के लिए प्राप्त ₹ 3,746.34 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 93,562.93 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,83,920.02 करोड़) का 51 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021-22 में शेष 49 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में अंश एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

चार्ट 1: राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)

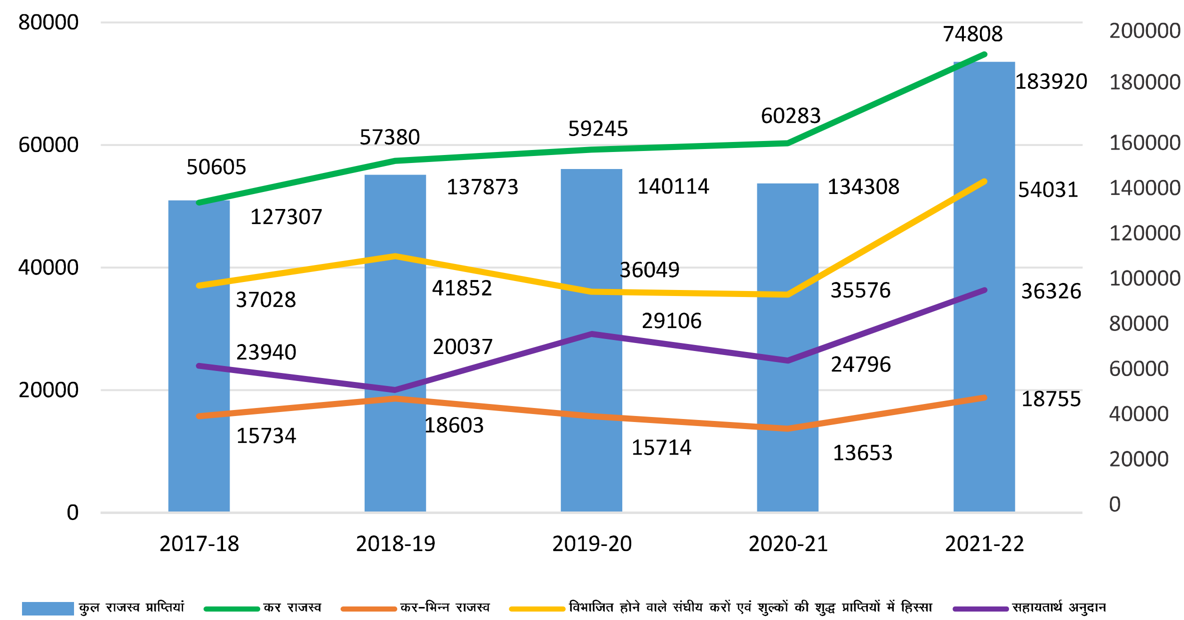

1.1.2 अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान एकत्रित कर राजस्व का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2 कर राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 में 2020-21 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	18,285.44	14,225.31	15,361.61	17,146.94	19,983.79	(+) 16.54
	केन्द्रीय बिक्री कर	722.80	565.65	481.15	332.09	621.61	(+) 87.18
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	12,137.02	22,938.33	21,954.17	20,754.87	27,501.90	(+) 32.51
3	आबकारी शुल्क	7,275.83	8,694.10	9,591.63	9,853.00	11,807.34	(+) 19.83
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	59.78	60.70	61.88	47.87	56.13	(+) 17.26
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	3,070.79	3,255.34	3,544.91	4,571.89	5,560.25	(+) 21.62
	पंजीयन शुल्क	544.21	569.99	627.94	677.51	875.53	(+) 29.23
5	मोटर वाहनों पर कर	4,362.97	4,576.45	4,950.98	4,368.17	4,758.92	(+) 8.95
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	3,376.67	2,147.95	2,262.77	2,142.39	2,606.19	(+) 21.65
7	भू-राजस्व	363.86	289.94	364.49	279.32	631.48	(+)126.08
8	माल एवं यात्रियों पर कर	340.78	50.79	41.12	45.18	171.17	(+)278.86

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 में 2020-21 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	63.93	5.14	1.01	1.23	11.21	(+)811.38
10	अन्य कर[6] इत्यादि	1.33	0.65	1.32	62.97	222.46	(+)253.28
	योग	**50,605.41**	**57,380.34**	**59,244.98**	**60,283.44**	**74,807.98**	**(+) 24.09**
	पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	**14.05**	**13.39**	**3.25**	**1.75**	**24.09**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है।

संबंधित विभागों ने सूचित किया किः

- 'राज्य आबकारी शुल्क' (19.83 प्रतिशत) में वृद्धि अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम एवं वैध मदिरा की बिक्री एवं नियमन से राजस्व की प्रभावी वसूली कारण हुई थी।

- 'भू-राजस्व' (126.08 प्रतिशत) में वृद्धि मुख्य रूप से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) को भूमि आवंटन के कारण हुई थी।

'बिक्री, व्यापार पर कर' (16.54 प्रतिशत) एवं 'राज्य वस्तु एवं सेवा कर' (32.51 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदत्त नहीं कराये गये थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का राजस्व एवं कर राजस्व का संयोजन **चार्ट 2** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2ः राज्य का राजस्व

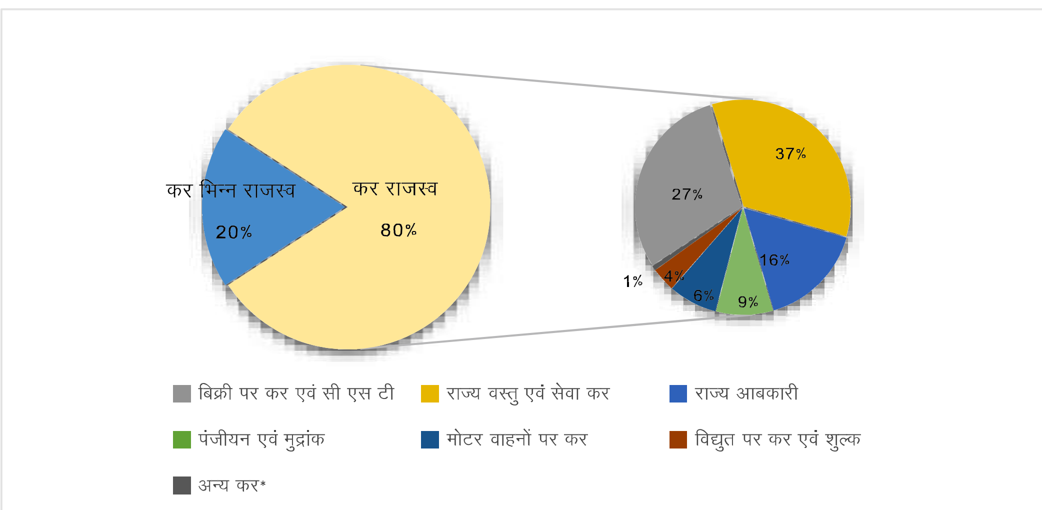

6 अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर (पेशे, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

1.1.3 वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3 कर-भिन्न राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2021-22 में 2020-21 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	4,521.52	5,301.48	4,579.09	4,966.39	6,395.15	(+) 28.77
ब्याज प्राप्तियां	4,858.90	5,790.87	3,851.99	2,693.15	1,628.18	(-) 39.54
विविध सामान्य सेवायें	762.36	783.86	915.51	747.01	2,591.41	(+) 246.90
पुलिस	296.56	345.38	641.68	192.54	532.37	(+) 176.50
अन्य प्रशासनिक सेवायें	207.55	246.49	207.16	146.62	498.32	(+) 239.86
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	277.72	179.31	77.19	245.47	193.94	(-) 20.99
वानिकी एवं वन्य जीवन	182.26	147.45	109.47	73.67	119.60	(+) 62.35
सार्वजनिक निर्माण	109.26	125.92	91.91	92.98	108.88	(+) 17.10
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	130.67	163.59	238.16	227.09	270.31	(+) 19.03
सहकारिता	63.11	22.24	9.11	95.75	9.40	(-) 90.18
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां[7]	4,323.81	5,496.42	4,992.89	4,172.35	6,407.39	(+) 53.57
योग	**15,733.72**	**18,603.01**	**15,714.16**	**13,653.02**	**18,754.95**	**(+) 37.37**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत	**35.45**	**18.23**	**(-) 15.53**	**(-) 13.12**	**37.37**	

स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे।

2021-22 में, पिछले वर्ष की तुलना में कर-भिन्न राजस्व संग्रहण में 37.37 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई थी। संबंधित विभागों ने सूचित किया किः

- 'विविध सामान्य सेवाओं' के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि का कारण (i) कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि जमा में से राशि ₹ 1,000 करोड़ का अन्तरण, (ii) अनुबंध शुल्क से प्राप्ति (₹ 21.84 करोड़) एवं मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की शेयर पूंजी के विनिवेश पर लाभ (₹ 29.33 करोड़), (iii) राज्य सरकार की बीमा निधि-सामान्य बीमा योजना से ₹ 30.00 करोड़ का अंतरण, आदि।
- 'पुलिस' के अन्तर्गत राजस्व में वृद्धि अन्य राज्यों और रेलवे में पुलिस कर्मियों की अधिक तैनाती के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 'ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अन्तर्गत कमी (39.54 प्रतिशत) बिजली कंपनियों को दिए गए मूल ऋणों की अदायगी एवं निर्धारित ब्याज जो कि उदय[8] के अन्तर्गत पूर्ण रूप से वसूल किया गया था, के कारण थी।

7 अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मत्स्य पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि से हुई आय, शामिल हैं।

8 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2022 को राजस्व बकाया की राशि ₹ 13,890.82 करोड़ थी, इसमें से ₹ 4,947.12 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि **तालिका 1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2021 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2022 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत		31 मार्च 2022 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	18,225.98	12106.53	(-) 33.58	4,203.17
2	परिवहन	59.39	40.89	(-) 31.15	30.06
3	भू-राजस्व[9]	204.34	200.98	(-) 1.64	96.51
4	वृहद एवं मध्यम सिंचाई*	3.10	2.77	(-)10.65	1.76
5	पंजीयन एवं मुद्रांक	1,318.39	681.73	(-) 48.29	162.30
6	भूमिकर	300.66	369.25	(+) 22.81	192.46
7	राज्य आबकारी	208.07	204.78	(-) 1.58	179.13
8	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	276.52	283.89	(+) 2.67	81.73
	योग	**20,596.45**	**13,890.82**	**(-) 32.56**	**4,947.12**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

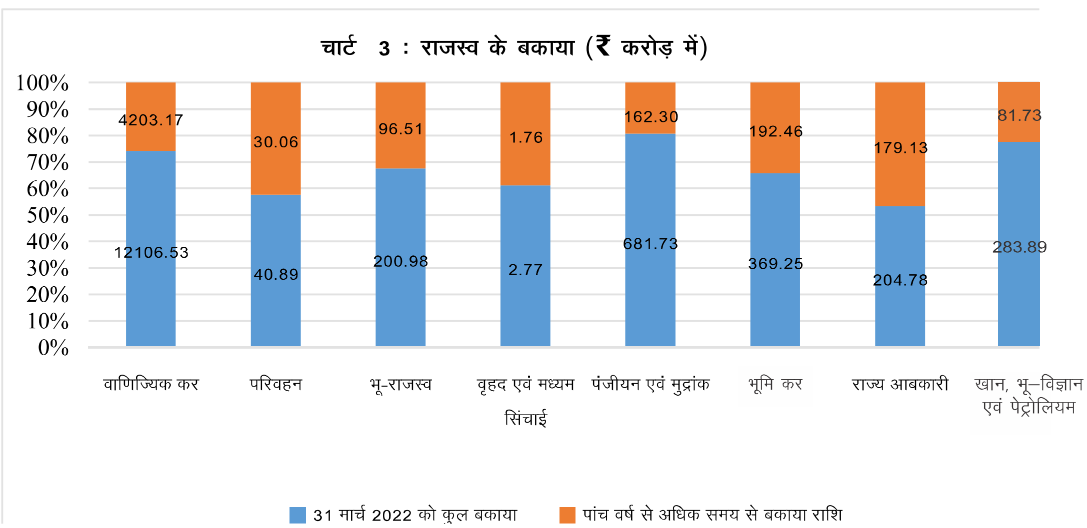

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण,

9 *31 मार्च 2021 के अंत मे दिखाई गयी कुल बकाया राशि से दिनांक 1 अप्रैल 2021 को दिखाई गयी बकाया राशि मे अंतर था (भू-राजस्व ₹ 18.18 करोड़ और वृहद एवं मध्यम सिंचाई ₹ 0.37 करोड़)। अन्तर के कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किये गये।

वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण **तालिका 1.5** में दिया गया हैः

तालिका 1.5: बकाया कर निर्धारण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम		प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2021–22 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2021–22 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर		01	4,894	4,895	4,894	01	99.98
पंजीयन एवं मुद्रांक	पंजीयन एवं मुद्रांक	5,069	6,208	11,277	6,680	4,597	59.24
	भूमिकर	3,952	4,645	8,597	1,822	6,775	21.19
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम		10,301	11,021	21,322	9,661	11,661	45.31
परिवहन		1,236	19,962	21,198	20,154	1,044	95.08

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर एवं परिवहन विभाग ने अधिकतर प्रकरणों का निस्तारण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। तथापि, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजी गयी कर अपवंचना

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान कर अपवंचना के 608 मामले ध्यान में आये, जिसमें विभाग की तीन प्रति-अपवंचना विंग के मामले भी शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 596 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी की गई, जिसमें पिछले वर्षों के दौरान पाए गए मामले शामिल थे। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 475.59 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹ 126.45 करोड़ की वसूली की।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में वर्ष 2021-22 के दौरान कर अपवंचना के 730 मामले ध्यान में आये। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹8.27 करोड़ की अतिरिक्त मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग ने ₹0.75 करोड़ की वसूली की।

खान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम विभाग ने सूचित किया कि 2021-22 के दौरान कर अपवंचना के दो मामले देखे गए, जिनमें से सभी मामलों में निर्धारण/जांच पूरी हो गई। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान शास्ति, इत्यादि सहित ₹0.03 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई जिसे विभाग द्वारा वसूल कर लिया गया था।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

संबंधित विभागों की सूचना अनुसार वर्ष 2021-22 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय एवं वर्ष 2021-22 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या **तालिका 1.6** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.6: प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	परिवहन		पंजीयन एवं मुद्रांक		खान एवं भू-विज्ञान	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	742	2.58	1,226	10.95	15	1.34
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	644	4.50	1,437	9.84	1	0.21
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	669	3.63	1,144	8.58	1	0.01
4.	अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या	48	0.32	119	0.62	0	0
5.	वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण	669	3.13	1,400	11.59	15	1.54

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रतिदाय के लंबित प्रकरणों के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए जिससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार को बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हे संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। संसद द्वारा 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया गया। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिकृत करती है कि वह भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है, की उन सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करे एवं अपने आपको संतुष्ट कर लें कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत और कार्यप्रणाली, सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 और लेखापरीक्षा मानक 2017 में निर्धारित की गई हैं।

1.7 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की गयी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा बजट अभिभाषण, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केंद्र), विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं इसके प्रभाव सम्मिलित हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, एवं राज्य आबकारी विभाग में कुल 1,852 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं। उनमें से, वर्ष के दौरान 123 इकाईयों की योजना बनायी गयी एवं 139 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 7.51 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त 'जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' पर भी एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी।

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं लेन-देनों की नमूना जांच के लिये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले चार विभागों[10] के 1,855 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित राशि ₹1305.64 करोड़ के 5,255 अनुच्छेद सितम्बर 2022 के अन्त में बकाया थे जैसा कि **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

10 चार मुख्य राजस्व विभाग अर्थात वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

तालिका 1.7: सितंबर 2022 तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं अनुच्छेदों की संख्या

विवरण	जून 2021 (दिसम्बर 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2021 (मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)	सितम्बर 2022 (मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन)
निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,707	1,799	1,855
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	4,963	5.308	5,255
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,079.06	1,656.71	1,305.64

1.8.1 30 सितम्बर 2022 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों का विभागवार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	562	1,809	470.36
2	भू-राजस्व	भू-राजस्व	117	573	287.21
3	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,043	2,536	362.41
4	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	133	337	185.66
योग			**1,855**	**5,255**	**1,305.64**

तालिका से देखा जा सकता है कि लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं बकाया अनुच्छेदों की संख्या पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में अधिकतम है जबकि वाणिज्यिक कर विभाग में लंबित अनुच्छेदों की राशि अधिकतम है।

1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[11] का गठन किया। वर्ष 2021-22 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.9** में उल्लेखित है:

11 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा उप-समितियाँ भी गठित की गयी है।

तालिका 1.9 लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि
1	वाणिज्यिक कर	3	2	34	7.54
3	भू-राजस्व	2	1	17	2.54
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	3	8	105	2.80
5	राज्य आबकारी	2	2	8	0.07
योग		**10**	**13**	**164**	**12.95**

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 12.95 करोड़ के 164 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। भू-राजस्व और राज्य आबकारी विभागों को बकाया अनुच्छेदों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति/उप-समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद संबंधित विभागों[12] के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें।

दस प्रारूप अनुच्छेद (प्रतिवेदन के सात अनुच्छेदों में संकलित), सम्बंधित चार विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को मई और दिसम्बर 2022 के मध्य प्रेषित किये गये थे। सम्बंधित विभागों से प्राप्त उत्तरों को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

1.8.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां (एटीईएन) जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 80 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को

12 वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

राज्य विधानसभा के समक्ष 06 मार्च 2018 से 22 सितम्बर 2022 के मध्य प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेदों पर भू-राजस्व एवं राज्य आबकारी विभागों के एटीईएन की प्राप्ति में विलम्ब पांच से 81 दिवस के बीच था।

जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 29 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और सात अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को जनलेखा समिति के दो[13] प्रतिवेदनों (2021-22) में सम्मिलित किया गया।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व,पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग की 139 लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच और वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित "जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत मामलों की जांच मे 8,354 मामलों में कुल ₹ 515.26 करोड़ राशि के रूपांतरण शुल्क की कम वसूली, सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण, आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की अवसूली/कम वसूली, आगत कर का मिसमैच, अधिक/गलत आगत कर का लाभ लेना, कर देयताओं का मिसमैच आदि का पता चला।

वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 8,265 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजस्व राशि ₹ 385.04 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 344.99 करोड़ राशि के 2,792 मामले 2021-22 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 2021-2022 के दौरान विभागों ने 4,793 मामलों में ₹ 12.14 करोड़ वसूल किये।

1.10 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

प्रतिवेदन के इस भाग में सात अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 441.92 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय II से V में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 437.61 करोड़ (मार्च 2023 तक) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। स्वीकृत लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से, विभागों ने मार्च 2024 तक ₹ 23.34 करोड़ की वसूली की जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹12.14 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा, संबंधित विभागों ने वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 25.94 करोड़ की वसूली की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 61.42 करोड़ थी।

13 दो प्रतिवेदनः भू - राजस्व (1), एवं राज्य आबकारी (1) से सम्बंधित है।